गुजरात में सूखा श्रीर धाढ

6052. श्रो अनन्तराय देव शंकर वजे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में सूखा झौर बाढ की समस्यायें गत कई वर्षों से प्राम बात बन गई है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य के सूखा प्रवण ग्रीर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इन समस्यात्रों से मिपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष कितना बजट प्रावधान किया जा रहा है ; और

(ड.) इस संबंध में ग्यौरा क्या हैं ?

हुषि मंद्राख्य में राज्य मंती (भी अर्रावद नेताम) : (क) ग्रौर (ख) गुजरात में गत कुछ वर्षों में विभिन्न स्तर के सूखे ग्रौर बाढ़ के जोखिमों का अनुभव किया गया है ।

ग्रहमदाबाद, ग्रमरेली, बनासकठा, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मेंहसाणा, पंचमहल, राजकोट ग्रौर सुरेन्द्रनगर के 10 जिलों में 52 खण्ड सूखा प्रवण क्षेत्रों के रूप में ग्रभिज्ञात किए गए हैं । राज्य में ग्रनुमानत: 13.9 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बाढ प्रलण है ।

(ग) केंद्र ढारा प्रायोजित सूखा प्रवण झेत कार्यक्रम राज्य के 43 खंडों में कार्या-ज्वत किया जा रहा है और मरूभूमि विकास कार्यक्रम 9 खण्डों में कार्यान्वित केया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से फसलों और<sup>3</sup> पशुधन के उत्पादन और भूमि, जस तथा मानव संसाधनों को उत्पादकता एवं भूमि, जल और क्रन्थ प्राइतिक संसाधनों के संरक्षण, विकास तथा संवर्धन पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद्र मिलती है । बाढ़ प्रवण क्षेतों में बाद बनाने, जलाशय, भू-कटाव रोध्यी तथ किनारों को पक्का करने जैसे \संरक्षक निर्माण कार्यों के माध्यम से बगढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए सिभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं ।

(घ) ग्रौर (ङ) गुजरात को प्रापदा राहत निधि में 85.00 करोड़ रुपए का बाधिक ग्रावंटन उपलब्ध है ताकि प्राक्ततिक ग्रापदाग्रों, जिनमें सुखा शामिल है, के ग्राने पर राहत ग्रौर पुनर्बास उपाय किए जा सर्के ।

## **Export Oriented Agricultural Farms**

6053. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of AGRICULTURE fee pleased to state:

(a) whether Government are allowing cent percent export Oriented agricultural farms; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Establishment of export oriented units in the agriculture sector is being given high priority. It has been decided that such units can avail of the benefits of dutyfree imports under the EOU/EPZ scheme even if they export 50 percent of their production. They can sell the remaining 50 percent produce in the domestic market as against the limit of 25 percent permitted for nonagricultural sector.

(b) The details of the scheme of Export Oriented Units are contained in Chapter IX of the Exports and Imports Policy 1992—97 copies of which are available in Parliament Library.